न्यायालय अति. जिला कलक्टर, झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी :– अजय कुमार आर्य
आर.ए.एस.

अपील संख्या : 59/2024
श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री मनीराम निवासी वार्ड नम्बर 21 नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू – अपीलान्ट

बनाम

उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू – रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 19.06.2024

उपस्थित :–

1. श्री आलोक शर्मा, अपीलान्ट की ओर से।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 31.10.2025

प्रस्तुत अपील अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 19.06.2024 के विरूद्ध पेश की है। संक्षेप में तथ्य अपील के निम्नप्रकार से है :– दिनांक 29.04.2024 को डॉ. समित शर्मा, शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं प्रभारी सचिव, जिला झुंझुनू द्वारा औचक निरीक्षण करने के दौरान नामांकित 9 बच्चों में से 3 बच्चे ही आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपस्थित मिले तथा अपीलान्ट से संख्या पुछने पर अपीलान्ट द्वारा 10–12 बच्चे होने का कथन किया गया था। सत्यता यह है कि आंगनबाड़ी केन्द्र का औचक निरीक्षण आगनबाड़ी केन्द्र के शुरू होने के समय किया गया था इस कारण नामांकित 9 बच्चों में से 3 बच्चे उपस्थित थे जबकि अन्य बच्चे जो देरी से आते है, आने वाले थे, जिनका इंतजार नहीं किया गया तथा अपीलान्ट पर लापरवाही एवं अनियमितता का गलत एवं निराधार आरोप लगा दिया गया । वार्ड नम्बर 21 में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र पर 9 बच्चे नामांकित थे तथा 3–4 बच्चे नामांकित होने वाले थे जो कुछ रोज से ही आंगनबाड़ी केन्द्र पर आना शुरू हुये थे। इस कारण अपीलान्ट द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र पर बच्चों की संख्या 10–12 बताई गई तथा आंगनबाड़ी केन्द्र में आने वाले 9 बच्चों का ही अपीलान्ट द्वारा पोषाहार प्राप्त किया गया था जबकि आंगनबाड़ी केन्द्र पर 10–12 बच्चे आने शुरू हो चुके थे। आंगनबाड़ी केन्द्र में भामाशाहों के सहयोग से काफी संख्या में खिलौने एकत्रित थे तथा बच्चों के खेलने हेतु प्रर्याप्त मात्रा में खिलोने बाहर रखे हुये थे जबकि कुछ खिलोने साफ सफाई करते एक जगह एक कट्टे में एकत्रित किये गये थे। इस बाबत अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट को व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अवगत करवाया गया था लेकिन रेस्पोडेन्ट द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं कर गलत रूप से आदेश जैर बहस अपीलान्ट के विरूद्ध पारित किया है। निरीक्षण के दौरान पुस्तकालय में खाली कार्टून व कॉपियों का ढेर लगे होने का आरोप लगाया गया है। इस सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट को अवगत करवाया गया था कि बच्चों की संख्या कम होने के कारण उक्त कॉपियो को सुरक्षा की दृष्टि से पुस्तकालय में रखवाया गया था परन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं कर गलत रूप से आदेश जैर पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा रजिस्टर नम्बर 11 में नामांकित बच्चों की लम्बाई व वनज को सही रूप से दर्ज किया गया था तथा ऑनलाईन एप पोषण ट्रेकर पर भी लगातार

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

Scanned with CamScanner

विवरण दर्ज किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त ग्रोथ चार्ज का विवरण भी अपीलान्ट द्वारा ऑनलाईन एप पोषण ट्रेकर पर ऑनलाईन दर्ज किया जा रहा था। अपीलान्ट द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही या अनियमितता नहीं की गई थी। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 19.06.2024 को निरस्त फरमाया जावें।

बहस उभय पक्षकारान सूनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही या अनियमितता नहीं की गई थी। अपीलान्ट नियमानुसार अपना कार्य निष्ठापूर्वक वहन कर रही थी तथा भविष्य में भी करती रहेगी। अतः अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 19.06.2024 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान अपीलान्ट के कथनों का विरोध किया तथा तर्क दिया कि आदेश दिनांक 19.06.2024 नियमानुसार जारी किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट की अपील निराधार तथ्यों पर आधारित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने बहस उभय पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में आदेश दिनांक 19.06.2024 के द्वारा अपीलान्ट की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मानदेय सेवाएं समाप्त की गई है। अपीलान्ट ने इस संबंध में तर्क दिया है कि उनके द्वारा अपीलान्ट द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही या अनियमितता नहीं की गई थी। अपीलान्ट नियमानुसार अपना कार्य निष्ठापूर्वक कर रही थी तथा भविष्य में भी करती रहेगी। हम अपीलान्ट के तर्को से सहमत है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 19.06.2024 को निरस्त किया जाता है तथा अपीलान्ट श्रीमती मंजू देवी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी केन्द्र वार्ड नम्बर 21 नवलगढ़ की मानदेय सेवाएं पुनः बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा अपीलान्ट को भी निर्देशित किया जाता है वह भविष्य में सजग रह कर निष्ठापूर्वक अपना कार्य संपादित करेंगी। आदेश की प्रति अदालत मातहत को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 31.10.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलेक्टर

(अजय कुमार आर्य)
अति. जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Scanned with CamScanner